न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी)

राजस्व आवेदन सं. 19/2019

अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. धनाराम पुत्र सामाराम 2. राउराम पुत्र सामाराम 3. रामाराम पुत्र हरदानराम 4. करनाराम पुत्र हरदानराम जातियान जाट निवासीगण प्रभात नगर सारला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. शेम्भूराम पुत्र दोलाराम (फौत) के का.मु. 1/1 आसूराम 1/2 खुमाराम 1/3 लक्ष्मण 1/4 भगाराम पि. शेंभू 1/5 मालूदेवी पत्नी शेंभू जातियान जाट निवासीगण प्रभातनगर सारला 2. रामाराम पुत्र मोड़ाराम जाति जाट निवासी प्रभातनगर 3. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई शाखा सेड़वा। 4. श्रीमान तहसीलदार साहब सेड़वा।

उपस्थित : प्रार्थीगण वकील – श्री करनाराम कड़वासरा

विप्रार्थी संख्या 1/2 से 1/4 के वकील – बाबुलाल विश्नोई

–: निर्णय :–

दिनांक 21.12.2022

प्रार्थीगण धनाराम पुत्र सामाराम वगैरा जातियान जाट निवासी प्रभात नगर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त का खेत मौजा प्रभातनगर पटरवार क्षेत्र सारला भू अभिलेख क्षेत्र सारला के खेत खसरा संख्या 724/445 रकबा 43 बीघा खसरा संख्या 725/445 रकबा 140.17 बीघा की भूमि आयी हुई है।

उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 724/445 रकबा 43.00 बीघा की पटवारी हल्का द्वारा लट्ठा ट्रेस मे तरमीम करते समय मौके पर कब्जे काष्त के अनुसार न कर कब्जे के विपरित कर दी गई तथा मौके पर आकर पटवारी हल्का द्वारा न तो उक्त खसरा की पैमाईश की व न ही उक्त खसरा की पैमाईश की व न ही उक्त खसरा की जांच की गई जि[illegible]तरमीम प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के विपरित कर दी गई। जि[illegible]भूमि विप्रार्थीगण के खसरें में तरमीम कर दी गई एवं प्रार्थीगण [illegible]गण के खसरा में [illegible] कर दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:19:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

। जिससे मौके पर पैमाईश करवाने की जानकारी हुई। प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 721/445 रकबा 43.00 बीघा की तरमीम पटवारी हल्का द्वारा गलत रूप से बिना जांच किये कब्जे काश्त के विपरित तरमीम कर दी गई। जिससे प्रार्थीगण दुरस्त करवाने के अधिकारी होने से यह आवेदन पत्र तरमीम दुरस्ती का श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबे के संबंध में कोई किसी प्रकार का विवाद नही है। प्रार्थीगण के लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जे में भिन्नता होने से यह प्रार्थना पत्र तरमीम दुरस्ती का लाने की आवश्यकता हुई है। अतः श्रीमान के समक्ष तरमीम दुरस्ती का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खेत मौजा प्रभातनगर पटरवार क्षेत्र सारला भू अभिलेख क्षेत्र सारला के खेत खसरा संख्या 724/445 रकबा 43.00 बीघा किस्म बारानी सोयम की मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार तरमीम दुरस्ती करवाने का आदेश फरमाया जाकर लट्ठा ट्रेस से तरमीम दुरस्त करवायें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण संख्या सं. 1/2 से 1/4 की ओर से अधिवक्ता बाबुलाल विश्नोई आयें। शेष विप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजुद भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। विप्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक राजस्व आवेदन वास्ते तरमीम दुरस्ती का पेश किया जो प्रारंभ से ही चलने योग्य नहीं हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थी के संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा सारला तहसील सेड़वा में खसरा संख्या 445 आया हुआ था जिसका प्रशासन आपके द्वार अभियान में श्रीमान तहसीलदार चौहटन ने आपसी सहमति से दिनांक 04.03.2005 क.सं. 109 में बंटवाड़ा करके बंटवाड़े अनुसार मौके पर तरमीम करने का आदेश किया व आदेशानुसार मौके पर बंटवाड़ा करके नक्शें में तरमीम कर दी गयी। श्रीमान तहसीलदार चौहटन द्वारा बंटवाड़े के आदेश पर की गयी तरमीम को अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू. अधिनियम में दुरस्त नहीं किया जा सकता है [illegible] तहसीलदार चौहटन के आदेश संख्या 109 दिनांक 04.03.2005 की अपील श्रीमान [illegible] बाड़मेर के न्यायालय में की जा सकती है क्योंकि तरमीम श्रीमान तहसीलदार चौहटन के आदेश पर आपसी सहमति

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:19:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

बंटवाड़े पर की गई है। अतः प्रारम्भिक आपत्तिया पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज किया जावें। इस संबंध में तहसीलदार सेड़वा से तरमीम दुरस्ती मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया जो प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम प्रभातनगर (मूल ग्राम सारला) के मूल खसरा संख्या 445 रकबा 183.17 बीघा किस्म बारानी सोयम का आपसी सहमति से कब्जा काश्त, रहवासी ढाणी टांके एवं बाड़ों के कब्जा अनुसार प्रशासन आपके द्वार 2005 में किया गया जो नामान्तकरण संख्या 824 स्वीकृति दिनांक 04.03.2005 से धना राउ पि. सामा रामा करना पि. हरदान कौम जाट के खसरा संख्या 445 रकबा 43.00 बीघा तथा शेम्भू वल्द दौला रामा वल्द मोडा जाति जाट के खसरा सख्या 445/1 रकबा 140.17 बीघा खातेदारी में दर्ज हुई। ग्राम सारला (वर्तमान प्रभातनगर) के नामान्तकरण संख्या 824 दिनांक 04.03.2005 के पुश्त पर नजरी तरमीम का अंकन किया गया। खसरा संख्या 445 के स्थान पर वर्तमान में खसरा संख्या 724/445 तथा खसरा संख्या 445/1 के स्थान पर 725/445 दर्ज है। उपरोक्त सहमति से कब्जा काश्त अनुसार करवाये गये बंटवाड़े की तरमीम लट्ठा ट्रेस में मौका कब्जा काश्त अनुसार नहीं की गई है। वर्तमान में खसरा संख्या 724/445 में प्रार्थीगण का कब्जा काश्त एवं ट्यूबवेल करवाया हुई हैं। इस खसरे के चारों तरफ तारबंदी की हुई है तथा पुरानी मांठ मौजूद है। अतः ग्राम प्रभातनगर के खसरा संख्या 724/445 रकबा 6.9606 हैक्ट(43.00 बीघा) किस्म बारानी सोयम की तरमीम वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार सलंग्न नक्शे में बरंग हरे रंग से प्रस्तावित की गई है। सलग्न नक्शे में प्रस्तावित तरमीम को परिशिष्ठ 'ब' में हरे रंग से दर्शाया गया है। फर्द मौका पढ़कर सुनाई गई सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर/अगुष्ठ निशान किये। खसरा संख्या 725/445 के खातेदार खुमाराम पुत्र शेम्भूराम उपस्थित लेकिन हस्ताक्षर करने से इन्कार किया।

उभयपक्षकारान वकील उप0। वकील प्रार्थीगण ने तहसीलदार सेड़वा द्वारा मौका रिपोर्ट पर बहस सुनने का निवेदन किया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती की जावें। जिस पर वि[illegible]ल ने आपत्ति जाहिर की। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन एवं बह[illegible] पर सलंग्न दस्तावेजात

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:19:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण धनाराम पुत्र सामाराम वगैरा जातियान जाट निवासी प्रभात नगर तहसील सेड़वा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी मौजा प्रभातनगर पटरवार क्षेत्र सारला भू अभिलेख क्षेत्र सारला के खेत खसरा संख्या 724/445 रकबा 43 बीघा में प्रशासन आपके द्वार 2005 में हुये आपसी सहमति से बंटवाड़े अनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार तरमीम दुरस्ती करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता हैं कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2022 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:19:29 IST
Reason: SelfAttested